



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 10.10.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी करने वाले 02 शातिर चोर अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 03 जिंदा व 02 खोखा कारतूस (.315 बोर), 01 मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर प्लस नंबर UP-17U-0546 तथा चोरी किया हुआ 01 इन्वर्टर, 01 झटका मशीन, 01 सैटल मशीन बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

अवगत कराना है कि जनपद बागपत में विगत दिनों से ट्रांसफार्मर, विद्युत एवं संचार संबंधी तार चोरी की घटनाएं प्रकाश में आ रही थीं। उक्त घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बागपत के निर्देशन में घटनाओं के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। गठित पुलिस टीमों द्वारा लगातार सुरागरसी-पतारसी करते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर सूचनाएं संकलित की जा रही थीं। इसी क्रम में दिनांक 10.10.2026 की रात्रि करीब 01:52 बजे थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा



कस्बा खेकड़ा से बड़ा गांव रोड पर मुबारिकपुर तिराहे से आगे मुबारिकपुर रोड पर ट्रांसफार्मर एवं ट्यूबवेल चोरी की घटनाओं की रोकथाम तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुबारिकपुर गांव की ओर से एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिनके बीच में एक प्लास्टिक का कट्टा रखा हुआ था। पुलिस टीम द्वारा टॉर्च से रुकने का इशारा करने पर मोटरसाइकिल सवार पुलिस टीम

को देखकर तेजी से मोटरसाइकिल पीछे मोड़कर भागने लगे, जिससे मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। इसके बाद मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 03 जिंदा व 02 खोखा कारतूस, 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस नंबर UP-17U-0546 तथा चोरी किया हुआ 01 इन्वर्टर, 01 झटका मशीन व 01 सैटल मशीन बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान 1. शाहिद पुत्र अली अहमद निवासी पट्टी अहिरान, करबा व थाना खेकड़ा, जनपद बागपत, उम्र करीब 28 वर्ष तथा 2. इमरान उर्फ चीज पुत्र बाबू निवासी ग्राम गोना, थाना चांदीनगर, जनपद बागपत के रूप में हुई। अभियुक्त शाहिद थाना खेकड़ा का हिस्ट्रीशीटर है। इमरान के संबंध में भी हत्या जैसे अपराधों में संलिप्तता की जानकारी प्रकाश में आई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. शाहिद पुत्र अली अहमद निवासी पट्टी अहिरान करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत । (घायल)
2. इमरान उर्फ चीज पुत्र बाबू निवासी गोना थाना चांदीनगर जनपद बागपत । (घायल)

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 03 जिंदा कारतूस व 02 खोखा कारतूस .315 बोर।
- 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस नंबर UP-17U-0546।
- 01 प्लास्टिक कट्टे में 01 इन्वर्टर, 01 झटका मशीन एवं 01 सैटल मशीन।

गिरफ्तार अभियुक्त शाहिद का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 714/2012 धारा 307 भादवि थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।
2. मु0अ0सं0 166/24 धारा 379/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 199/24 धारा 379/411/427 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
4. मु0अ0सं0 240/24 धारा 305/331(4)/317(2)बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

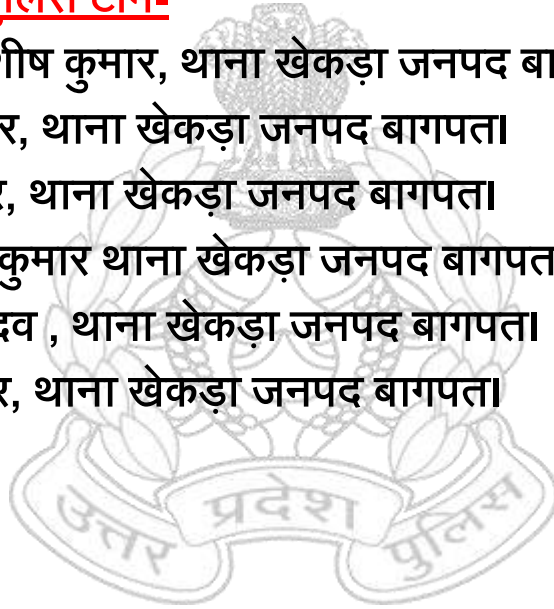
5.मु0अ0सं0 245/24 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त इमरान का आपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0सं0 35/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 2.मु0अ0सं0 325/23 धारा 380/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत
- 3.मु0अ0सं0 328/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकड़ा जनपद बागपत

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक आशीष कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2- उ0नि0 विकास कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3- उ0नि0 कपिल कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 4- है0का0 785 सुनील कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 5- का0 1058 शरद यादव , थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 6- का0 997 सोनू कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।





प्रेस नोट

थाना रमाला जनपद बागपत दिनांक-10.10.2026

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से अवैध पटाखे एवं एक मालवाहक वाहन बरामदा

कार्यवाही-

जनपद बागपत पुलिस द्वारा अवैध पटाखों की तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 04 प्लास्टिक के कट्टे व 06 पेटी चिटबंदीशुदा व 01 अन्य प्लास्टिक कट्टे में भरे निर्मित अवैध पटाखे व 01 मालवाहक वाहन बरामद किये गये हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विक्रम सिंह पुत्र स्व० श्री जोगिन्द्र सिंह नि० थाना समयपुर बादली उत्तर पश्चिम दिल्ली उम्र करीब 44 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 04 प्लास्टिक के कट्टे व 06 पेटी चिटबंदीशुदा
- 01 अन्य प्लास्टिक कट्टे में भरे निर्मित अवैध पटाखे
- 01 वाहन छोटा हाथी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नरेशपाल सिंह थाना रमाला जनपद बागपत
2-का0 1043 सुनील कुमार थाना रमाला जनपद बागपत
3-रि0का0 267 धीरज शर्मा थाना रमाला जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 10.10.2026

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 706/26 धारा 70(2)/351(2) बी.एन.एस व 67(b) आई.टी. एक्ट व 5(L)/6 पोक्सो एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 706/26 धारा 70(2)/351(2) बी.एन.एस व 67(b)



आई.टी. एक्ट व 5(L)/6 पोक्सो एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- दिनांक 06.10.2026 को थाना बडौत पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त सलमान कुरैशी पुत्र गुलाब कुरैशी निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

1. आबिद पुत्र रफीक निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 35 वर्ष
2. बिलाल पुत्र मकसूद निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष
3. अनस पुत्र अनीश निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीन:-

1. उ0नि0 श्री वैभव सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
2. उ0नि0 श्री राजकुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
3. है0का0 633 रुस्तम कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
4. है0का0 738 अरुण कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
5. है0का0 139 नीरज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
6. का0 433 गौरव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
7. रि0का0 568 प्रशान्त यादव थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बालैनी

दिनांक 10.10.2026

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 141/2026 धारा 352/115(2) /333/191(2)/191(3)/109(1) बीएनएस व 3(2)(V) एससी एसटी एक्ट के वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर घटना मे प्रयुक्त एक कुदाली व एक फावडा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07-10-2026 को थाना बालैनी पर वादी राजकुमार पुत्र कर्मबीर निवासी ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.मुनेश गिरी पुत्र ओमप्रकाश, 2.इन्द्र पुत्र ओमप्रकाश 3. सहदेव पुत्र ओमप्रकाश 4. समेश पुत्र मुनेश 5. सर्मिठा पत्नी मुनेश 6.



दुरयन्त पुत्र सहदेव 7. माया पत्नी सहदेव 8. कपिल पुत्र कंवरपाल समस्त निवासीगण दत्तनगर

थाना बालैनी बागपत द्वारा एक राय होकर हाथ में लाठी डण्डे, तमंचा व फावड़ा लेकर वादी के घेर में घुस आना, व तमंचे से वादी व वादी के पिता व बहन पर निशाना बनाकर, जान से मारने की नियत से फायर करना, जिससे वादी व उसकी बहन व पिताजी का बाल बाल बचना व गाली गलौच कर जाति सूचक शब्द कहना व मारपीट करना, जिससे वादी की बहन, पिताजी व काकी को गंभीर चोट आना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0स0- 141/26 धारा 352/115(2)/333/191(2)191(3)191(1) बीएनएस व 3(2)5 एसी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

जनपद बागपत पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 141/2026 धारा 352/115(2)/333/191(2)/191(3)/109(1) बीएनएस व 3(2)(V) एससी एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त एक कुदाली व एक फावड़ा बरामद ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुनेश गिरी पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जिला बागपत उम्र करीब 36 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 01 कुदाली
- 01 फावड़ा

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 नन्दकिशोर राजपूत थाना बालैनी जिला बागपत
- 2-उ0नि0 पंकज कुमार थाना बालैनी जिला बागपत
- 3-का0 204 विकास कुमार थाना बालैनी जिला बागपत
- 4-का0 912 सूरज कुमार थाना बालैनी जिला बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 10.10.2026

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 03 कछुआ बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध रूप से 03 कछुओं को बरामद किया गया है,



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में

थाना रमाला पर मु0अ0सं0 218/26 धारा 39/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद सभी कछुओं को नियमानुसार सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1- सुहेल पुत्र राजेश निवासी कैराना थाना कैराना जनपद शामली उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 03 कछुएं ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 योगेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत

2- उ0नि0 सूरज सिंह थाना रमाला जनपद बागपत

3- का0 1100 सुनील कुमार थाना रमाला जनपद बागपत

4-का0 452 पंकज चाहर थाना रमाला जनपद बागपत

